

(2)

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

श्री. क. ल. च. म. र. श. क.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. क. ल. च. म. र. श. क. 2. वर्तमान धारित पद श्री. क. ल. च. म. र. श. क.

3. वर्तमान वेतन ₹ 1,07,79 पंच/अगली वेतनवृद्धि की तारीख 11/7/20.20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आधुनिक
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नौनिशा करवल दिहवाडा	गृह		लगभग 40.00 लाख	पिता सखेना पति		निरंक	
राजडी दिहवाडा		भूमि	लगभग 6.00 लाख	पिता		निरंक	

हस्ताक्षर.....  
 नाम श्री. क. ल. च. म. र. श. क.  
 पद पंच  
 विभाग म. प्र. कानून प्रशिक्षण विभाग

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की-तम उक्त उक्त भूखंडों के अतिरिक्त अन्य भूखंडों के अतिरिक्त भी भिलों या उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या क-क या ग-ग के द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।